

—: आदेश :-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के शासनादेश संख्या-F.No. 11/306/2014-FC, दिनांक 26-09-2015, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-941/X-4/18/1-05(04)/2014, दिनांक 26-09-2018 एवं भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के पैरा-11.2 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में सुपाणा धारी मोटरमार्ग से भूपानी तक मोटरमार्ग के निर्माण कार्य हेतु 2.8735 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर को निर्माण हेतु वृक्षों के पातन एवं कार्य आरम्भ करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :-

1. यह अनुमति विधिवत् स्वीकृति की प्राप्ति तक अथवा अनुमति जारी होने के एक वर्ष तक अर्थात् दिनांक-21-01-2023 जो पहले हो तक ही वैध है।
2. वृक्षों के छपान से पूर्व वन विभाग के पर्यवेक्षण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मोटरमार्ग के संरक्षण के दोनो ओर स्पष्ट चिन्हांकन किया जाना होगा।
3. परियोजना में वन भूमि में न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 162 वृक्ष (Including 58 saplings) है एवं वृक्षों का पातन वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में किया जायेगा।
4. वन भूमि पर कोई भी शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्राप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।
6. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
7. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।
8. भारत सरकार द्वारा जारी निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों/उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा, जिसके लिये प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं उत्तरादायी होगा।
9. वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव संरक्षण, अधिनियम 1972 एवं अन्य सुसंगत नियमों/आदेशों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जाना होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक संख्या- 2264

/ 12-1

दिनांक 24/01/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0जी0सी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

J.F.C.C.  
वृ. अनुमति  
देना  
21/01/22  
CCF/22

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- २२६५ / १२-१ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग उप वन प्रभाग।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर मु०-कीर्तिनगर।
3. वन क्षेत्राधिकारी, कीर्तिनगर राजि को इस निर्देश के साथ कि परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों का यथा सम्भव नियमनुसार छपान कर छपान सूची इस कार्यालय को उप प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराते हुये उपरोक्त शर्तों का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें एवं उक्त आदेश के उल्लेखित अनुमति की वैध तिथि तक उक्त प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति की प्राप्ति न होने की दशा में कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द करवाना सुनिश्चित करें एवं आख्या इस कार्यालय को उप प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायें।
4. राजस्व शाखा, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

४५